विशेष सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग की अध्यक्षता में दिनांक 19.09.2025 को 10:30 बजे पूर्वाह्न में संपन्न विधान मंडलीय प्रश्नों से संबंधित मामलों की समीक्षात्मक बैठक की कार्यवाही:–

उपस्थिति:

1. श्री आदित्य प्रकाश, अवर सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना
2. श्री बीरेन्द्र कुमार, कार्यपालक अभियंता–सह–नोडल पदाधिकारी, विधायी कार्य
3. श्री योगेन्द्र कुमार भाटिया, कार्यपालक अभियंता, मुख्य अभियंता–4 का कार्यालय
4. श्री विनय कुमार, कार्यपालक अभियंता, मुख्य अभियंता–1 का कार्यालय
5. रामाधार चौधरी, प्रशाखा पदाधिकारी
6. श्री अभिषेक राज, सहायक योजना निदेशक
7. श्री संजीव रंजन, प्रशाखा पदाधिकारी, मुख्य अभियंता का कार्यालय, निर्माण एवं गुणवत्ता नियंत्रण
8. अन्य उपस्थित पदाधिकारी / कर्मचारी

अधोहस्ताक्षरी द्वारा आज दिनांक–19.09.2025 को 10:30 बजे पूर्वाह्न में विधायी कार्यों की समीक्षा उपर्युक्त उपस्थित पदाधिकारियों / कर्मियों की उपस्थिति में की गई। समीक्षा के क्रम में बिहार विधान सभा / परिषद के विभिन्न समितियों के लंबित प्रश्नों का उत्तर प्रतिवेदन भेजने / समीक्षा कराने आदि के संबंध में निम्नलिखित निदेश दिया गया:–

2. ग्रामीण कार्य विभाग के सभी मुख्य अभियंता कार्यालय के विधायी कार्यों हेतु नामित नोडल पदाधिकारी एक सप्ताह के अन्दर लंबित विधान सभा के सभी आश्वासन प्रश्नों का उत्तर प्रतिवेदन उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे। संबंधित मुख्य अभियंता के द्वारा विधान सभा के लंबित मामलों का अनुश्रवण किया जायेगा तथा क्षेत्रीय कार्यालयों से प्राप्त उत्तर प्रतिवेदन पर समीक्षोपरान्त मुख्य अभियंता, निर्माण एवं गुणवत्ता नियंत्रण को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाय। यदि विधान सभा के लंबित आश्वासनों का एक सप्ताह के अन्दर उत्तर प्रतिवेदन प्राप्त नहीं होता है, तो संबंधित मुख्य अभियंता के विधायी कार्यों के नामित नोडल पदाधिकारी से स्पष्टीकरण पूछा जायेगा। यदि क्षेत्रीय कार्यालयों से उत्तर प्रतिवेदन प्राप्त करने में किसी प्रकार की कठिनाई होती है तो इस संबंध में अपने मुख्य अभियंता के साथ–साथ अधोहस्ताक्षरी को सूचित किया जाय।
3. विधान परिषद के सभी प्रकार के प्रश्न यथा याचिका / निवेदन / शून्यकाल / आश्वासन इत्यादि सभी नामित नोडल पदाधिकारी को निदेश दिया जाता है कि सभी वांछित प्रश्नों का उत्तर प्रतिवेदन अविलंब रूप से एक सप्ताह के अन्दर क्षेत्रीय कार्यालय / मुख्यालय से प्राप्त करना सुनिश्चित करेंगे। एक सप्ताह के अन्दर उत्तर प्रतिवेदन समर्पित नहीं होने की स्थिति में संबंधित

नामित नोडल पदाधिकारी से स्पष्टीकरण पूछा जायेगा। यदि क्षेत्रीय कार्यालयों से उत्तर प्रतिवेदन प्राप्त करने में किसी प्रकार की कठिनाई होती है तो इस संबंध में अपने मुख्य अभियंता के साथ–साथ अधोहस्ताक्षरी को सूचित किया जाय।

4. श्री बीरेन्द्र कुमार, कार्यपालक अभियंता–सह–नोडल पदाधिकारी (विधायी कार्य) एवं श्री संजीव रंजन, प्रशाखा पदाधिकारी, मुख्य अभियंता, निर्माण एवं गुणवत्ता नियंत्रण का कार्यालय को निदेश दिया जाता है कि वे अपने स्तर से भी विधानमंडलीय प्रश्नों का उत्तर प्रतिवेदन प्राप्त करने हेतु संबंधित अभियंता से सम्पर्क करना सुनिश्चित करेंगे तथा इस आशय की सूचना अधोहस्ताक्षरी को देंगे।
5. विधान मंडल से संबंधित प्रश्नों का तय समय सीमा के अन्दर उत्तर प्रतिवेदन नहीं देने होने की स्थिति में संबंधित मुख्य अभियंता अपने क्षेत्राधीन कार्यपालक अभियंता से स्पष्टीकरण की माँग करेंगे। इस हेतु संचिका नामित नोडल पदाधिकारी अपने स्तर से उपस्थापित कराना सुनिश्चित करेंगे।
6. विधानमंडलीय प्रश्नों के उत्तर प्रतिवेदन में यदि कार्य पूर्ण है तो पूर्णतया की स्थिति में कार्यपालक अभियंता से प्राप्त उत्तर प्रतिवेदन में तिथि अंकित करना सुनिश्चित करेंगे। यदि कार्य प्रगति पर है तो एकरारनामा की तिथि एवं कार्य समाप्ति की तिथि अंकित करना सुनिश्चित करेंगे।

बैठक सधन्यवाद संपन्न हुई।

19/9/25

(मनोज कुमार)
सरकार के विशेष सचिव।

ज्ञापांकः–10/अ0प्र0–08–04/25 10126 दिनांकः– 19.9.25

प्रतिलिपिः– अपर मुख्य सचिव के आप्त सचिव/सचिव के निजी सहायक/विशेष सचिव के निजी सहायक/अभियंता प्रमुख–सह–अपर आयुक्त–सह–विशेष सचिव के निजी सहायक/अभियंता प्रमुख के निजी सहायक/सभी मुख्य अभियंता/श्री आदित्य प्रकाश, अवर सचिव/श्री बीरेन्द्र कुमार, कार्यपालक अभियंता–सह–नोडल पदाधिकारी, विधायी कार्य/सभी मुख्य अभियंता के नोडल पदाधिकारी (विधायी कार्य)/श्री संजीव रंजन, प्रशाखा पदाधिकारी, मुख्य अभियंता का कार्यालय, निर्माण एवं गुणवत्ता नियंत्रण/प्रशाखा पदाधिकारी–9 एवं 10/सभी संबंधित पदाधिकारी/कर्मचारी/आई0टी0 मैनेजर, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

19/9/25

सरकार के विशेष सचिव।